न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर
बइजलास कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस. जिला कलक्टर, बीकानेर

मुकदमा संख्या 46/08 राजस्व विविध (सीलिंग)

साहबराम पुत्र चेतनराम जाति ब्राहम्ण निवासी किशनासर तहसील लूणकरणसर

–प्रार्थी

: ब ना म :

1. श्रीमती आशा पत्नि जुगलसिंह उर्फ जुगतसिंह 2. जयसिंह 3. रेणु 4. भावना पिसरान जुगलसिंह उर्फ जुगतसिंह जाति राजपूत निवासी भीनासर तहसील बीकानेर
5. राजस्थान राज्य

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 17(4) राजस्थान इम्पोजिशन ऑफ सिलिंग ऑन एग्रीकल्चर हॉल्डिंग रूल्स, 1973 सपठित नियम 14(4) आवंटन नियम,1970

उपस्थितिः–

1. श्री बच्छराज कोठारी, वकील अपीलाण्ट।
2. दिनेश गहलोत, वकील रेस्पोडेण्टान

: आदेश :

दिनांक 11.03.2020

1. प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खेत खसरा नं. 49 तदादी 86.16 बीघा मौजा रवि किशनासर तहसील लूणकरणसर देवसीराम पुत्र सेऊराम जाति ब्राहम्ण की खातेदारी थी जो अवाप्त की जाकर रकबा राज घोषित की गयी। अप्रार्थीगण के पति व पिता भीनासर के निवासी थे जिनके नाम से शरह गंगेरी तहसील कोलायत में 142 बीघा 8 बिस्वा खातेदारी भूमि होते हुए तथ्यो को छुपाकर 75 बीघा भूमि मौजा रोही बामनवाली में आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सिंलिग में अवाप्त भूमि में से 50 बीघा भूमि का आवंटन करवा लिया। सिंलिग नियमो में वरीयता के अनुसार सर्वप्रथम उसी मौजारोही के अनुसुचित जाति अनुसूचित जनजाति के भूमिहीन व्यक्ति तत्पश्चात ग्राम के भूमिहीन व्यक्ति उसके बाद पंचायत के भूमिहीन व्यक्ति तत्पश्चात तहसील के भूमिहीन व्यक्ति को आवंटन कराने का प्रावधान था किन्तु अप्रार्थी के पति/पिता ने मिथ्या व कपट से दिनांक 29.08.75 को ऐसा आवंटन कराया है जो एबएनिशियो वॉयड है। अतः आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

3. तदन्तर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

जिला कलेक्टर, बीकानेर

विद्वान वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के बिन्दुओ को दोहराते हुए कथन किया कि खेत खसरा नं. 49 तदादी 86.16 बीघा मौजा रवि किशनासर तहसील लूणकरणसर देवसीराम पुत्र सेऊराम जाति ब्राहम्ण की खातेदारी थी जो अवाप्त की जाकर रकबा राज घोषित की गयी। अप्रार्थीगण के पति व पिता भीनासर के निवासी थे जिनके नाम से शरह गंगेरी तहसील कोलायत में 142 बीघा 8 बिस्वा खातेदारी भूमि होते हुए तथ्यो को छुपाकर 75 बीघा भूमि मौजा रोही बामनवाली में आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सिंलिग में अवाप्त भूमि में से 50 बीघा भूमि का आवंटन करवा लिया। सिंलिग नियमो में वरीयता के अनुसार सर्वप्रथम उसी मौजारोही के अनुसुचित जाति अनुसूचित जनजाति के भूमिहीन व्यक्ति तत्पश्चात ग्राम के भूमिहीन व्यक्ति उसके बाद पंचायत के भूमिहीन व्यक्ति तत्पश्चात तहसील के भूमिहीन व्यक्ति को आवंटन कराने का प्रावधान था किन्तु अप्रार्थी के पति/पिता ने मिथ्या व कपट से दिनांक 29.08.75 को ऐसा आवंटन कराया है जो एबएनिशियो वॉयड है। अतः आवंटन निरस्त फरमाया जावे जिससे ग्राम के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति के भूमिहीन व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर भूमि का आवंटन किया जा सके।

5. अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने दौरान ए बहस कथन किया कि प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अप्रार्थीगण के पति व पिता स्वर्गीय जुगलसिह उर्फ जुगतसिंह ने आवंटन अधिकारी के समक्ष किसी भी तथ्य को नही छुपाया है ना ही कपट व मिथ्या प्रतिनिधित्व से भूमि आवंटन करवायी है। आवंटित भूमि आवंटन नियमो के विपरित नहीं है। वादगत भूमि पर आवंटन की दिनांक से अप्रार्थीगण के पति/पिता की कब्जाकाश्त रही हैं। अतः आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण वर्ष 2008 से रिकार्ड तलबी बाबत जैरकार है। लगभग 12 वर्ष व्यतीत होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त नही हुआ है। बिना रिकार्ड की जांच किये यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि अप्रार्थीगण के पति/पिता द्वारा तथ्य छुंपाकर कपट से व मिथ्या प्रतिनिधित्व से आवंटन करवाया है। अतः प्रकरण में हम पुनः विस्तृत जांच करवायी जाना न्यायोचित पाते है।

7. उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, लूणकरणसर को रिमाण्ड कर निर्देश दिये जाते है कि उभयपक्ष को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नियम 17(4) राजस्थान इम्पोजिशन ऑफ सिलिंग ऑन एग्रीकल्चर हॉल्डिंग रूल्स, 1973 सपठित नियम 14(4) आवंटन नियम,1970 के परिपेक्ष्य में प्रकरण की विस्तृत जांचकर नियमानुसार कार्यवाही करे।

8. निर्णय आज दिनांक **11.03.20** को हमारे द्वारा लिखाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, बीकानेर
जिला कलक्टर, बीकानेर